

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
(जी-3, राजगहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) (16) का / एसएमई / डीएलबी / 18 / 18597

दिनांक :- 23/01/18

:- आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के प्रशासनिक / कार्यव्यवस्था के तहत स्थानान्तरण / पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1.	श्री रजनीश चौधरी	राजस्व निरीक्षक	हनुमानगढ	जयपुर
2.	श्री गौरव शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	भरतपुर	जयपुर
3.	श्री पूनम सिंह	कनिष्ठ लिपिक	हिण्डौन	राजाखेडा
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	कुम्हेर	राजाखेडा
5.	श्री गोपाल दास किराडू	वरिष्ठ लिपिक	आदेशों की प्रतीक्षा में	बीकानेर

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी / संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त / किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का / एस.एम.ई. / डी.एल.बी. / 18 / 18598-617

दिनांक:- 23/01/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्ष0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर / भरतपुर / बीकानेर।
5. महापौर / आयुक्त / अध्यक्ष / सभापति / अधिशाषी अधिकारी नगर निगम / परिषद / पालिका, जयपुर / भरतपुर / हनुमानगढ / हिण्डौन / कुम्हेर / राजाखेडा।
6. संबंधित कर्मचारी.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)